**संख्या- 102 /2025 / 881 /चार-2025-1888949**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

2. निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
कैसरबाग, लखनऊ।

**संस्कृति अनुभाग**: **लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी से संबंधित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या-2443/तृतीय-24(34)/24, दिनांक 11.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-3926/चार-2024 दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत रू0 39.00 लाख मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम मे फर्म जू टॉयज, ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल की धनराशि रू0 85,700/- मात्र तथा शासन के पत्र संख्या-3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 द्वारा निर्गत रू0 350.00 लाख मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में कुम्भ प्रदशनी में प्रस्तावित केनवास फोटो बनवाने पर हुए व्यय रू0 82,146/- मात्र अर्थात् कुल रू0 1,67,846.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या- 3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18.11.2024 द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के आयोजन से संबंधित जेम निविदा/ ई-निविदा कराये जाने हेतु क्रमांक-7 पर अंकित पुरातत्व निदेशालय के प्रस्ताव - प्रदर्शनी का तकनीकी प्रदर्शन (ए0आर0/ वी0आर0 रेप्लिका, थ्री डी मॉडल, लघु फिल्में आदि) हेतु रू0 350.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या- 5/2025/ 3936 /चार-2024 दिनांक 03.01.2025 द्वारा **रू0 2,25,47,039.00,** शासनादेश संख्या- 24/2025/99/चार-2025 दिनांक 16.01.2025 द्वारा **रू0 42,20,978.00** तथा शासनादेश संख्या- 54/2025/436 /चार-2025-1888949 दिनांक 04.02.2025 द्वारा **रू0 64.90 लाख** अर्थात् अब तक **रू0 3,32,58,017.00** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय के पत्र दिनांक 11.03.2025 में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार शासन के पत्र संख्या-3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18.11.2024 द्वारा क्रमांक-7 पर अंकित पुरातत्व निदेशालय के प्रस्ताव - प्रदर्शनी का तकनीकी प्रदर्शन (ए0आर0/ वी0आर0 रेप्लिका, थ्री डी मॉडल, लघु फिल्में आदि) हेतु रू0 350.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष कुम्भ प्रदशनी में प्रस्तावित केनवास फोटो बनवाने पर हुए व्यय **रू0 82,146/- मात्र** तथा शासन के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्र संख्या-3926/चार-2024 दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा स्मारकों के रिक्रिएशन, एक्टिविटी एरिया हेतु टॉयज आदि कार्यों के सम्पादन हेतु निर्गत रू0 39.00 लाख मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष टॉयज आदि कार्यों हेतु **रू0 85,700/- मात्र** अर्थात् कुल **रू0 1,67,846.00 (रू0 एक लाख सरसठ हजार आठ सौ छियालीस मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

4. <u>शर्तें / प्रतिबन्ध :-</u>
   (1) शासनादेश संख्या- 5/2025/ 3936 /चार-2024 दिनांक 03.01.2025, शासनादेश संख्या-24/2025/99/चार-2025 दिनांक 16.01.2025 तथा शासनादेश संख्या- 54/2025/436 /चार-2025-1888949 दिनांक 04.02.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
   (2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।
   (3) वित्तीय औचित्य के मानकों एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर प्रस्तावित प्रदर्शनियों संबंधी कार्य पूर्ण कराए जाएं तथा कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशियों के बिल वाउचर सत्यापित कर व्यय की गयी धनराशि के बिल भुगतान हेतु संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
   (4) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

<u>संख्या - 102 /2025 / 881 (1) /चार-2025-1888949 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in